

'भगोड़ा आर्थिक अपराध वधियक 2017'

चर्चा में क्यों ?

कानून मंत्रालय ने देश छोड़कर भागने वाले आर्थिक अपराधी और डफिऑलटर्स की संपत्ति ज़िब्त करने का अधिकार देने वाले वधियक के मसौदे पर सहमति दे दी है। वदिति हो क वधियक को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश कया जाएगा

वधियक से संबंधति महत्त्वपूरण बदि

- वधियक के पारति होते ही यह कानून ऐसे मामलों में लागू होगा, जहाँ अपराध 100 करोड़ रुपए से अधिक के हो।
- यह आर्थिक अपराध करने वालों को देश छोड़कर भारतीय कानून की प्रक्रया से बचने वाले आर्थिक अपराधियों पर अंकुश लगाने पर ज़ोर देता है।
- यह वधियक, वत्तीय खुफया इकाई (Financial Intelligence Unit-FIU)) को आर्थिक अपराधी को भगोड़ा घोषति करने और संपत्ति ज़िब्त करने को लेकर आवेदन देने की अनुमति देता है।
- गौरतलब है क एफआईयू वत्ति मंत्रालय के अधीन आने वाली तकनीकी खुफया इकाई है, जसि मनी-लॉन्डरगि नरिधक कानून के तहत अदालत को मामले की सुनवाई की ज़मिमेदारी दी जाएगी।
- वत्ति मंत्रालय ने वधियक पर कैबिनेट नोट का मसौदा तैयार कया था और उस पर कानून मंत्रालय की राय मांगी थी। साथ ही वधियक के प्रावधानों से सहमति जिताने हुए इसमें एक 'वशिष छूट' का प्रावधान शामिल करने का सुझाव दया गया है।
- वशिष छूट के प्रावधान का उद्देश्य प्रस्तावति वधियक के प्रावधानों के कारण प्रभावहीन हो सकने वाले अन्य प्रावधानों के प्रभाव को बनाए रखना है।

क्यों महत्त्वपूरण है यह वधियक?

- यह व्यापक रूप से देखा गया है क बड़े आर्थिक अपराधी कानूनी प्रक्रया से बचने के लयि भारत से भाग रहे हैं। यह प्रवत्ति भारत में कानून के शासन को कमज़ोर करती नज़र आ रही है।
- ऐसे में एक प्रभावी, शीघ्र और संवैधानिक रूप से स्वीकार्य कदम उठाए जाने की ज़रूरत है, ताक इस तरह की गतविधियों पर रोक लगाई जा सके।
- इसी संदर्भ में वत्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में सरकार द्वारा घोषणा की गई थी क सरकार इस तरह के भगोड़ों की परसिपत्तियों को ज़िब्त करने के लयि नया कानून लाएगी।
- अतः 'भगोड़ा आर्थिक अपराध वधियक 2017' नामक यह वधियक जब पारति होकर कानून की शकल लेगा तो नशिचति ही देश छोड़कर भागने वाले आर्थिक मामलों से संबंधति अपराधियों को आसानी से कानून के गरिफ्त में लया जा सकता है।